सं.24/307/2014-पब्लिक

गृह मंत्रालय

भारत सरकार

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 5 सितम्बर, 2014

सेवा में,

डॉ0 मंजुला श्रीवास्तव,

167, मंसूर नगर,

लखनऊ,

उत्तरप्रदेश-226003

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना ।

महोदय,

कृपया आप अपने उपरोक्त विषयक पत्र दिनांक 12.07.2014 जो कि इस मंत्रालय के पब्लिक अनुभाग में इस मंत्रालय के आर.टी.आई. अनुभाग से दिनांक 11.08.2014 को सूचना प्रदान करने के लिए प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करें । आपका उक्त आवेदन पत्र इस मंत्रालय में विधि और न्याय विभाग, विधायी विभाग से अन्तरण द्वारा प्राप्त हुआ था। आपके द्वारा आवेदन पत्र में वांछित सूचना निम्नवत उपलब्ध करायी जाती है:-

क्रम संख्या	सूचना
1 एवं 2	भारत के राज्य संप्रतीक का प्रयोग भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम 2005 तथा भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम 2007 {भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) संशोधन नियम 2010 के साथ पठनीय} द्वारा विनियमित होता है, जो कि इस मंत्रालय के वेबसाइट "www.mha.nic.in" पर जनसामान्य के अवलोकन के लिए उपलब्ध है। भारत के राज्य संप्रतीक का विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग उक्त नियम के अनुसूची-I, अनुसूची-II तथा अनुसूची-III मे विनिदिष्ट कार्यालयों, प्राधिकारियों एंव प्रयोजनों तक निर्बंधित है। भारत का राज्य संप्रतीक का अनुचित प्रयोग भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम 2005 की धारा 7 (धारा 3 तथा 4 के साथ पठनीय) के अनुसार दंडनीय अपराध है । भारत के राज्य संप्रतीक के अनुचित प्रयोग से संबंधित शिकायत कोई भी व्यक्ति अपने निकटतम पुलिस थाने में कर सकता है और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की कानून प्रवर्तन शाखा उक्त अधिनियम तथा नियम के अनुबंधों के अनुसार कार्यवाही करती हैं।
3	नहीं ।

2. इस मामले मे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत अपील, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय, कमरा नं 194, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को 30 दिनों के समय में की जा सकती है।

(श्यामला मोहन)

निदेशक एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

प्रतिः अनुभाग अधिकारी (आई.टी. सेल), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को उपरोक्त आवेदन पत्र की एक प्रति के साथ इस मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

CR - 328568/(Adv)/14

487

11/08

आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक :5 अगस्त, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत ~~श्री~~/श्रीमती/सुश्री मंजुला श्रीवास्तव का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के ~~संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री~~ डॉ. श्रीवास्तव ~~के दिनांक: 12/07/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में~~ विधायी विभाग से अंतरण द्वारा दिनांक: 05/08/2014 को प्राप्त) को प्रशासन प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क विधि एवं न्याय मंत्रालय में ~~दिनांक....../....../2014 की रसीद सं. ....के तहत~~ जमा कर दिया है ~~(संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

सु. सामंत

(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निदेशक (ए एवं पी)
गृह मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली।

— पब्लिक अनुभाग के लिए।

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

~~श्री/श्रीमती/सुश्री~~ डॉ. मंजुला श्रीवास्तव,
167, मंसूर नगर
लखनऊ - 226003
उत्तर प्रदेश।

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

11/8/14

US(P)

11/08

Dy. No. 4415/RTI/2014
5/8/14

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली/New Delhi
05 AUG 2014
क.सं. 324223
C.R. No.
सी.आर. अनुभाग/नॉर्थ ब्लॉक/CR Section/North Block

765 A

[illegible]

प्रशासनिक विभाग
आर.टी.आई. कक्ष

भारती भवन, नई दिल्ली
दिनांक 1/8/2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदन-पत्र ।

*****

इस विभाग को श्री/श्रीमति/सुश्री [illegible] का दिनांक 12/7/2014 का आवेदन पत्र अंतरण द्वारा .... से प्राप्त हुआ है (दिनांक 28/7/2014 को प्राप्त)। चूंकि आवेदन की विषय-वस्तु Ministry of Home Affairs मंत्रालय/विभाग से संबंधित है, अतः उक्त आवेदन को सूचना उपलब्ध कराने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अधीन संबंधित लोक प्राधिकारी को अंतरित किया जाता है । यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषयवस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित है तो आवेदक को सूचित किए जाने के पश्चात आवेदन को सीधे लोक प्राधिकारी को अंतरित किया जा सकता है।

2. सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक ने रू 10/– की निर्धारित फीस जमा कर दी है/ दावा किया है कि वह गरीबी रेखा से नीचे है इसलिए फीस जमा नहीं की है।

~~भवदीय~~

संलग्नक - यथोक्त

(एस के चिटकारा)
उप सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में,
Under Secretary & CPIO
Ministry of Home Affairs
North Block
New Delhi

DAW (A&V) for Ps. [illegible]

प्रतिलिपि प्रेषित :- श्री/श्रीमति/सुश्री [illegible]
[illegible]
[illegible]

आवेदक से अपेक्षित सूचना प्राप्त करने हेतु संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

सेवा में

सचिव / जनसूचना अधिकारी
विधि एवं न्याय मंत्रालय
भारत सरकार नई दिल्ली

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाना ।

महोदय,

कृपया जनसूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें यदि किन्हीं कारणवश यह सूचना किसी अन्य स्तर से दी जानी हो तो प्रकरण को उन्हें संदर्भित करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

1. अशोक लाट (भारत सरकार का प्रतीक चिन्ह) किन लोगो द्वारा प्रयोग किया जा सकता है ?
2. क्या भारत सरकार का अशोक लाट वाला चिन्ह बार एसोसिएशन अपने पैड/ परिचय-पत्र आदि म प्रयोग कर सकते हैं ?
3. क्या आपके संज्ञान में है कि अवध वार एसोसिएशन हाईकोर्ट लखनऊ बेंच द्वारा वकीलों को दिये जाने वाले परिचय-पत्र पर अशोक की लाट अंकित है ?

निर्धारित शुल्क रू0 10/- मात्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है जिसका नं0-63M-391470 है। जानकारी से उपलब्ध करायें।

लखनऊ
दिनांक : 12/07/2014

22
1079

प्रार्थी

डा0 मंजुला श्रीवास्तव
167, मंसूर नगर, लखनऊ
पिनकोड - 226003

235
28/7/014